बिहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार तिथि २० फरवरी १९५०

भारत के संविधान के उपवन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने में सोमवार तिथि २० फरवरी १९५० को ११ बजे पूर्वाहन में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ ।

THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES

MONDAY THE 20TH FEB, 1950

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met at Patna on Monday the 20th Feb. at 11 A. M.

The Hon'ble the SPeaker, Mr. Vindhyeshwari Prasad Verma, in the Chair.

भारत के संविधान के प्रति विनिहित निष्ठा का शपथ ग्रहण ।

OATH OF ALLEGIENCE TO THE CONSTITUTION OF INDIA.

माननीय अध्यक्ष : भारतीय संविधान के प्रति जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं की वे अब ऐसा करें ।

चीनी के मूल्य में वृद्धि ।

**१०। श्री जगन्नाथ सिंह : क्या माननीय मंत्री, पूर्त्ति और मूल्य नियंत्रण विभाग, बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह बात सही है कि चीनी पर नियंत्रण करने के पश्चात् इसके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है और इसमें चोर बाजारी भी हो गयी है ;

(ख) क्या यह बात सही है कि गत विजया दशमी और दीपावली के अवसरों पर भी चीनी उचित मूल्य पर लोगों को नहीं मिल सकी ;

(ग) यदि खंड (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार कौन सी कारंवाई करने जा रही है ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है, सरकारी दूकानों पर चीनी उचित दाम पर मिलती है ।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रांतीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से आवश्यकतानुसार चीनी नहीं मिलने के कारण चीनी की कमी है । ऐसी हालत में चोर बाजारी हो सकती है, बिहार सरकार ने एक Sugar movement of price control order जारी किया है जिसको एक प्रति मेज पर रख दी गयी है ।

सरदार हरिहर सिंह : अगर सरकार को मालूम नहीं है, तो क्या सरकार जांच करायेगी कि जो खबर मिली है वह गलत है ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : हमने कहा कहां है कि खबर मिली है ।

श्री प्रभुनाथ सिंह : दिवाली और दशहरे के अवसरों पर भी चीनी उचित मूल्य पर लोगों को नहीं मिल सकी । तो क्या सरकार कोई इन्तजाम इस बात की कर रही है कि होली के अवसर पर लोगों को चीनी मिले ?

---

* माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में श्री ब्रजलाल दोकानिया के निवेदन करने पर उत्तर दिया गया ।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : इसका उत्तर देने का अर्थ यह होगा कि हम इस बात को कबूल करलें कि चीनी ठीक तरह से नहीं बटी।

सरदार हरिहर सिंह : सही बात को कबूल कर लेने में हर्ज ही क्या है ?

श्री बृजलाल दोकानिया : क्या सरकार को मालूम है कि स्टाकिस्टों के यहां चीनी महीनों पड़ी रहती है और स्थानीय अधिकारियों (Local officers) के असकत के कारण लोगों में वितरण होने में १॥ महीना देरी हो गई ?

माननीय अध्यक्ष : सरकार तो ऐसा कोई दोष कबूल करना नहीं चाहती है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : हम तो कबूल करने को तैयार हैं अगर हमको यह विश्वास हो जाय कि यह दोष है। जब हमें मालूम हो जाय कि फला स्टाकिस्ट और अफसर की वजह से गलती हुई है तो हमें दोष कबूल कर लेने में तनिक भी हिचक नहीं होगी। General proposition का definite जवाब देना मुश्किल है।

श्री झूलन सिंह : अध्यक्ष महोदय, चीनी का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और असेम्बली के नये कानून के मुताबिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर वाद-विवाद करने का अवसर देने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को है। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रश्न पर विवाद करने का समय दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष : आज तो समय देने में आपत्ति है। अभी आप राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद कर रहे हैं। फिर आज ही ४ बजे बजट पेश होना है। इसलिए आज तो समय बहुत कम है।

माननीय रामचरित्र सिंह : बहस किस चीज पर होगी ?

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अभी चीनी पर बहस करने का मौका दिया जाना ठीक नहीं होगा। इस पर बहस करने का अवसर बजट डिसकशन के अवसर पर दिया जा सकता है और अगर बहुत ज्यादा महत्व इसको देना चाहते हैं तो General discussion का समय है। इसके अलावे Voting of demands पर बहस मुबाहिसा करने का मौका है। इन सब मौकों के रहते हुए भी आज खास इस चीज पर बहस करने का मौका खोजा जाय और दिया जाय यह ठीक नहीं होगा।

श्री लतीफुर रहमान :.जनाब सदर, जो नया नियम बना है उसमें है कि अगर किसी सवाल का उत्तर Satisfactory नहीं मिला है तो हाउस को इस पर बहस करने का मौका देने का अधिकार अध्यक्ष को है। चीनी का मसला बहुत ही अहम है। सूबे के सभी लोग जानते हैं कि चीनी की बड़ी दिक्कत है और इसकी चोरबाजारी हो रही है इस पर भी अगर गवर्नमेन्ट को मालूम नहीं है तो बेहतर होगा कि इसपर कुछ कहने का मौका हमलोगों को दिया जाय।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज से लेकर ३१ मार्च तक का समय आपके पास है। इसमें आपको कोई रुकावट नहीं रहेगी इसलिए कोई खास मौका निकाला जाय इसकी जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। बहस करने का अभी काफी मौका है।

श्री लतीफुर रहमान : हमलोगों को चाय के लिए चीनी नहीं मिल रही है।

माननीय अध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में कोई माननीय सदस्य उठ कर एक निश्चित प्रस्ताव पेश करें तो मैं उसका निर्णय कर सकूंगा। नियम में है,,

The matters should be of sufficient urgent public importance.

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : यह उस वक्त के लिए है जब कोई मौका ही बहस करने के लिए नहीं रह जाय। अभी तो हर बात पर बहस करने का मौका है। यहां Urgency की बात तो नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता को चाय पीने के लिए चीनी नहीं मिलती है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : क्या यह urgent है ?

माननीय अध्यक्ष : और भी इस सम्बन्ध की बातें हैं। चीनी की दिक्कत हजारों को है। इसका तो सार्वजनिक महत्व (Public importance) है।

माननीय डा० अनुग्रह नारायण सिंह : आप की मर्जी। आप बहस कराना चाहें तो करावें।

माननीय डा० श्रीकृष्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करता हूँ। नये rules बने। इसको देखने का मौका भी

हमें नहीं मिला है। सवाल यह है कि अगर इस तरह से आप फैसला करना चाहते हैं तो इस बात पर पूरा विचार कर लेंगे। सवाल पेश करने का अधिकार मेम्बरों को है और उसका जवाब गवर्नमेंट की ओर से दिया जाता है। हमारे Leader of the opposition को जवाब शायद जल्दी तसफ्फीवख्श नहीं मिलता है। किसी सवाल का तसफ्फीवख्श जवाब नहीं मिला तो उस पर general debate किया जाय। अगर यही बात चले तो शायद इस हाउस में रोज एक प्रस्ताव होगा और उस पर debate होगा और इस असेम्बली का जो मामूली कार्य है उसको स्थगित कर देना होगा, या तीन महीने का जो समय है वह ६ महीना कर देना होगा।

अगर रोज-रोज प्रस्ताव होगा और उसपर रोज-रोज बहस होगी तो जो काम हम तीन महीने में खत्म करना चाहते हैं वह ६ महीने में खतम होगा। इसलिए मैं समझता हूँ अगर किसी प्रकार रूल में परिवर्तन करने से यह मसला तय हो जाय तो उसपर पहले विचार कर लेना चाहिए। हम लोगों को ऐसा आरंभ नहीं करना चाहिए जिससे आगे चलकर असेम्बली की कार्रवाई अधिक दिनों तक बढ़ने की संभावना हो जाय।

माननीय अध्यक्ष : भारतीय लोक सभा (Indian Parliament) में इस प्रकार की पद्धति जारी की गई है। समिति ने निश्चय किया कि वैसा ही एक नियम यहां भी बने, और नियम बन भी गया और चालू भी हो गया। लेकिन बहस के विषय का अभी हमारे सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जब ऐसा प्रस्ताव आयेगा तो उसपर विचार किया जायगा कि वह मान्य होगा कि नहीं।

दरभंगा म्युनिसिपैलिटी का विभाजन

* ११। **श्री राधा कान्त चौधरी :** क्या माननीय मंत्री, स्थानीय स्वायत्त विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दरभंगा शहर की म्युनिसिपैलिटी को दो हिस्सों में विभाजित करने के सम्बन्ध में आम लोगों की राय मांगी है या नहीं। यदि 'हां' तो किन-किन व्यक्तियों या संस्थाओं से और किस सिद्धान्त पर ऐसे लोगों से राय मांगी गई है ?

माननीय एं० विनोदानन्द झा : उत्तर अस्वीकारात्मक है।